अनुदान संख्या 26 – इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
GRANT No. 26 - MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	9274,66,00				
				9274,72,00	7904,50,06	-1370,21,94
पूरक	Supplementary	6,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					825,27,89
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	446,00,00				
				446,01,00	351,76,90	-94,24,10
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					74,84,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	125933.00			
			124966.00	123457.92	-1508.08
पु.	R.	- 967.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3454" जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Major Head "3454" Census Surveys and Statistics				
मू.	O.	60000.00			
पू.	S.	2.00	156499.00	156479.95	-19.05
पु.	R.	96497.00			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	68064.00			
पू.	S.	2.00	1.00	..	-1.00
पु.	R.	-68065.00			
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	673469.00			
पू.	S.	2.00	563478.11	510512.19	-52965.92
पु.	R.	-109992.89			

(I) ₹106963.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹106962.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:

(I) Provision of ₹106963.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2021 and March, 2022) remained wholly unutilized under fourteen heads; of these ₹106962.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग–इलेक्ट्रानिक्स" –

(A) Major Head "2552" – "Telecommunication and Electronics Industries-Electronics" -

(क) "श्रमशक्ति विकास कार्यक्रम"– ₹5000.00 लाख;

(a) "Manpower Development Programme"- ₹5000.00 lakhs;

(ख) "इलेक्ट्रानिक गवर्नेंस कार्यक्रम"– ₹5002.00 लाख (₹2.00 लाख की सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

(b) "Electronic Governance Programme" – ₹5002.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs);

(ग) "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" – ₹5000.00 लाख;

(घ) "इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर) का संवर्धन" – ₹24564.00 लाख;

(ङ.) "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स और सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास – ₹7000.00 लाख;

(च) "साइबर सुरक्षा परियोजनायें" – ₹2000.00 लाख;

(छ) "प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान" – ₹3000.00 लाख; और

(ज) "डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा"– ₹15000.00 लाख।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(i) "आईटी और आईटीईएस उद्योगों को बढावा"– ₹1500.00 लाख – नए प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती करने और कोविड–19 महामारी के कारण विभिन्न कार्यकलापों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "आईटी और आईटीईएस उद्योगों को बढ़ावा"– ₹1200.00 लाख;

(c) "National Knowledge Network Programme" – ₹5000.00 lakhs;

(d) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing Clusters)" – ₹24564.00 lakhs;

(e) "R&D in information Technology, Electronics and CCBT"- ₹7000.00 lakhs;

(f) "Cyber Security Projects" – ₹2000.00 lakhs;

(g) "Pardhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan"- ₹3000.00 lakhs; and

(h) "Promotion of Digital Payments" – ₹15000.00 lakhs.

Provisions under the above eight heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/ funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(i) "Promotion of IT and ITeS Industries"- ₹1500.00 lakhs - due to non-receipt of new proposals, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and requirement of less funds towards various activities owing to COVID-19 Pandemic.

(B) Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronic Industries"-

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Promotion of IT and ITeS Industries" – ₹1200.00 lakhs;

(ii) "इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर) का संवर्धन" – ₹20843.00 लाख;

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "आईटी और आईटीईएस उद्योगों को बढ़ावा" – ₹1000.00 लाख; और

(ii) "इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर) का संवर्धन"– ₹15853.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईंः

(का) "सचिवालय–इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय"– ₹1494.57 लाख की बचत (₹10933.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी), इलेक्ट्रानिक निकेतन भवन की मरम्मत/पुनरुद्धार और अन्य स्थापना संबंधी व्ययों के लिए के कारण कम निधियों की आवश्यकता हुई।

(खा) "संबद्ध कार्यालय – राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र (एनआईसी)" – ₹980.51 लाख की बचत (₹115000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण आउटसोर्स किए गए तकनीकी श्रमशक्ति की तैनाती में विलंब होने, विक्रेता से साफ्टवेयर नवीनीकरण अभिदान बिल नहीं प्राप्त होने और स्थापना संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं।

(ii) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Cluster Manufacturing)" – ₹20843.00 lakhs;

(b) "Tribal Area Sub-Plan" –

(i) "Promotion of IT and ITeS Industries"- ₹1000.00 lakhs; and

(ii) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Cluster Manufacturing)"- ₹15853.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to non-receipt of viable proposals.

(II) Under Major Head "3451" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Secretariat – Ministry of Electronics and Information Technology" – saving of ₹1494.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10933.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards annual maintenance contracts (AMCs), repair/renovation of Electronics Niketan building and other establishment related expenses owing to COVID-19 pandemic.

(B) Attached Offices-National Informatics Centre(NIC)"- saving of ₹980.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹115000.00 lakhs) was due to delay in deployment of outsourced technical manpower owing to COVID-19 pandemic, non-receipt of software renewal subscription bill from the vendor and requirement of less funds towards establishment related expenses.

(III) Under Major Head "2852" – "Telecommunication and Electronic Industries" – savings occurred under the following heads: -

(का) "डिजिटल इंडिया कार्यक्रम" —

(क) "श्रमशक्ति विकास" — ₹6762.65 लाख की बचत (₹28000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम संख्या में प्रेक्टिकल हैंड्स आन प्रशिक्षण और क्लासरूम प्रशिक्षण और कुछ कौशल विकास कार्यक्रमों के स्थगित होने के कारण हुई।

(ख) "इलेक्ट्रानिक गवर्नेंस कार्यक्रम"—₹2856.22 लाख की बचत (मार्च, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹30001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ग) "इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर) का संवर्धन" — ₹79571.37 लाख की बचत (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹198873.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंपनियों द्वारा निवेश के दावे प्रस्तुत नहीं करने, कोविड–19 महामारी के कारण एमएसआईपीएस के अंतर्गत प्रस्ताव देर से प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) "आईटी और आईटीईएस उद्योगों का संवर्धन"— ₹4320.46 लाख की बचत (₹11300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी करने के कारण हुई।

(ड.) "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स और सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास" — ₹4279.97 लाख की बचत (₹52500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, कम संख्या में हैंड्स आन प्रशिक्षण और क्लासरूम प्रशिक्षण होने और कोविड–19 महामारी के

(A) "Digital India Programme"-

(a) "Manpower Development" – saving of ₹6762.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28000.00 lakhs) was due to less number of practical hands-on training and classroom training and postponement of some skill development owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Electronic Governance Programme" – saving of ₹2856.22 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹30001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2022) was due to non-receipt of viable proposals.

(c) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Cluster Manufacturing)" – saving of ₹79571.37 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹198873.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2021) was due to non-submission of investment claims by companies and late receipt of proposals under MSIPS owing to COVID-19 pandemic.

(d) "Promotion of IT and ITeS Industries"- saving of ₹4320.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11300.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(e) "R&D in Information Technology, Electronics and CCBT"- saving of ₹4279.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹52500.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals, less number of practical hands-on training and

कारण अनुदानग्राही निकायों द्वारा पूर्ववर्ती अनुदानों का उपयोग नहीं करने के कारण हुई।

classroom training and non-utilisation of previous grants by grantee bodies owing to COVID-19 pandemic.

(च) "डिजिटल भुगतानों को बढावा"–₹52786.40 लाख की बचत (₹112500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रुपे डेबिट कार्ड को बढ़ावा देने संबंधी प्रोत्साहन स्कीम के संबंध में अंतिम तिमाही के दावे प्राप्त नहीं होने, भीम, यूपीआई लेनदेन की कम मात्रा, कोविड–19 के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी करने, व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और प्रचार अभिमुखी कार्यकलापों को मूर्त रूप नहीं देने के कारण हुई।

(f) "Promotion of Digital Payments" – saving of ₹52786.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹112500.00 lakhs) was due to non-receipt of claims for last quarter in respect of incentive scheme for promotion of RuPay debit cards, low value BHIM UPI transactions, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic, non-receipt of viable proposals and non-materialisation of publicity oriented activities.

(खा) "विनियमन और प्रमाणन – मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी)" – ₹1566.31 लाख की बचत (₹11000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एसटीक्यूसी लैब द्वारा कम निधियों की आवश्यकता और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(B) "Regulation and Certification-Standardisation, Testing and Quality Certification (STQC)" - saving of ₹1566.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by STQC labs and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "स्वायत्तशासी और अन्य निकायों को सहायता" –

(क) "वैद्युत (इलेक्ट्रानिक) प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र" (सी–मेट)"– ₹2000.00 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण पूंजीगत परियोजनाओं को मूर्त रूप नहीं दिए जाने, वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता और वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(ख) "भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकंशस एंड जियो इन्फार्मेशन (बीआईएसएजी–एन)"– ₹1300.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुदानग्राही संस्थानों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(C) "Assistance to Autonomous and Other Bodies"-

(a) "Centre for Materials for Electronic Technology (C-MET)"- saving of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to non-materialisation of capital projects owing to COVID-19 pandemic, requirement of less funds towards salaries and cut imposed by the Ministry of Finance.

(b) "Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo Information (BISAG-N)" - saving of ₹1300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the grantee institution.

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "श्रमशक्ति विकास कार्यक्रम" – ₹985.39 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कौशल विकास/हैंड–आन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्थगित करने के कारण हुई;

(ख) "इलेक्ट्रानिक गवर्नेंस प्रोग्राम" – ₹2057.24 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स और सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास"– ₹4162.52 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(क) "इलेक्ट्रानिक गवर्नेंस प्रोग्राम" – ₹1348.01 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स और सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास" – ₹4353.61 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुईं।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹744.51 लाख की बचतें हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत और 49 प्रतिशत थीं।

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(a) "Manpower Development Programme" – saving of ₹985.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to postponement of skill development/hands-on training programme owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Electronic Governance Programme"- saving of ₹2057.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs);

(c) "R&D in information Technology, Electronics and CCBT" – saving of ₹4162.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs);

(E) "Tribal Area Sub-Plan" –

(a) "Electronic Governance Programme" - saving of ₹1348.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs); and

(b) "R&D in Information Technology, Electronics and CCBT" – saving of ₹4353.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to non-receipt of viable proposals.

(IV) Under two heads savings of ₹744.51 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 20 percent and 49 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹140817.00 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में ₹4.00 लाख का सांकेतिक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:

(का) मुख्य शीर्ष "3454" – "सर्वेक्षण और डाटा–विशिष्ट पहचान योजना–भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण" – ₹96497.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹96477.95 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग" –

(क) "डिजिटल इंडिया कार्यक्रम –साइबर सुरक्षा परियोजनायें" – ₹15100.00 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹12851.22 लाख था।

(ख) "स्वायत्तशासी निकायों और अन्य निकायों को सहायता – सेंटर फार डेवेलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी–डेक)" – ₹1700.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1699.75 लाख था।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" – ₹2500.00 लाख।

(ii) "डिजिटल भुगतान को बढ़ावा" – ₹13370.00 लाख।

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" – ₹2000.00 लाख।

(ii) "डिजिटल भुगतान को बढ़ावा" – ₹8850.00 लाख।

2.(I) The above savings were partly (₹140817.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs in December, 2021 and March, 2022 under the following major heads: -

(A) Major Head "3454" – "Surveys and Statistics – Unique Identification Scheme – Unique Identification Authority of India" – ₹96497.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹96477.95 lakhs.

(B) Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronic Industries" -

(a) "Digital India Programme – Cyber Security Projects"- ₹15100.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹12851.22 lakhs.

(b) "Assistance to Autonomous and Other Bodies – Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC)" - ₹1700.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1699.75 lakhs.

(c) " Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "National Knowledge Network Programme"- ₹2500.00 lakhs.

(ii) "Promotion of Digital Payments" – ₹13370.00 lakhs.

(d) "Tribal Area Sub-Plan"-

(i) "National Knowledge Network Programme" – ₹2000.00 lakhs.

(ii) "Promotion of Digital Payments"- ₹8850.00 lakhs.

(iii) साइबर सुरक्षा परियोजनायें"–₹800.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹500.00 लाख था।

(iii) "Cyber Security Projects"- ₹800.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹500.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग – डिजिटल इंडिया कार्यक्रम – प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई ₹3000.00 लाख का अधिक व्यय (₹22500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए गए के जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronic Industries - Digital India Programme - Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan"– excess of ₹3000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4859" दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4859" Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries				
मू.	O.	19600.00	15700.00	13853.08	-1846.92
पु.	R.	-3900.00			
मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	25000.00	21417.00	21323.82	-93.18
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-3584.00			

(I) ₹3000.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4859" – "इलेक्ट्रानिक – अनुसंधान और विकास – इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हार्ड्वेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और क्लस्टर विनिर्माण) को बढ़ावा के अंतर्गत एक मामले में – ईडीएफ स्कीमों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4859" – "इलेक्ट्रानिक्स – अनुसंधान और विकास – एसटीक्यूसी और अन्य परियोजनाओं के लिए मशीनरी और उपकरण" के अंतर्गत – ₹2540.02 लाख की बचत (₹16100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपकरणों की कम खरीद और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "5475" – "मशीनरी और उपकरण – राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र" के अंतर्गत – ₹3677.18 लाख के बचत (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹1.00 लाख की सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹25001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया में देरी होने, जीईएम पोर्टल पर मेड इन इंडिया प्रतिबंधों के कारण आईसीटी मदों को रखने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत राशि की तुलना में कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(I) Provision of ₹3000.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "4859" - "Electronics - Research and Development - Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Cluster Manufacturing)" - due to non-receipt of viable proposals under EDF schemes.

(II) Under Major Head "4859" – "Electronics-Research and Development - Machinery and Equipment for STQC and Other Projects" – saving of ₹2540.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16100.00 lakhs) was due to less procurement of machinery and equipments and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "5475" - "Machinery and Equipment-National Informatics Centre" – saving of ₹3677.18 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹25001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2021) was due to delay in bidding process, placement of ICT items owing to Made in India (MII) restrictions in GeM portal and requirement of less funds by Central Public Works Department against authorization.